रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.S.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

449

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1986/कार्तिक 9, 1908
No. 849] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1986/KARTIKA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1986

धनकर

का. आ. 821(अ) :—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (16क) द्वारा

प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात :—

(i) मैसर्स इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा जारी किए गए सात वर्षीय "1986-आई पी सी एल-14 प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय बंधपत्र",

(ii) मैसर्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए सात वर्षीय "14 प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय बंधपत्र तेरहवीं शृंखला)" ।

[फा. सं. 328/101/86-धनकर]
ए. के. फोतेदार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1986

WEALTH TAX

S.O. 821 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (xvie) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies the following debentures for the purpose of the said clause, namely :—

(1) 7-Year "1986-IPCL—14 per cent Secured Redeemable Non-Convertible Bonds" issued by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Baroda ;

(2) 7-Year "14 per cent Secured Redeemable Non-Convertible Bonds (13th Series)" issued by the Rural Electrification Corporation Ltd., New Delhi.

[F. N. 328|101|86-WT]
A. K. FOTEDAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986